सुखपुरी बइजलास श्री प्रवीण कुमार (RAS)

राजस्व प्रकरण संख्याः–52/2008 दायर तारीख 17.03.2008
39/2010 15.04.2010

तुलसीराम हपता नोला जाति लौहार उम्र बालिग निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

1.1 गोपाल पिता तुलसीराम जाति लौहार उम्र बालिग निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

1.2 श्रीमती नन्दू विधवा तुलसीराम जाति लौहार उम्र बालिग निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

1.3 सन्तरा देवी पुत्री तुलसीराम जाति लौहार उम्र बालिग निवासी खडीपुर तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा

..............वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियां जिला भीलवाडा

..........प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट0

:–निर्णयः– दिनांक 08.06.2018

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के पिता नोला पिता गोपी लुहार निवासी खडीपुर के नाम पर राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा मौजा खडीपुर स्थित गत बन्दोबस्ती कृषि खातेदारी भूमि आ0नं0 173/5 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आ0नं0 178/6 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व आ0नं0 140 मीन रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा बाबत खातेदारी प्रमाणपत्र जारी किया गया। स्व0 नोला पिता गोपी लुहार की मृत्यू हो चुकी है। वर्तमान में वादी उनका एक मात्र उत्तराधीकारी उनके द्वारा अपने पीछे छोडी गई कृषि सम्पति पर काबिज हो जरिये वैध अधिकारो के काष्त कर रहा है। राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा जो खातेदारी प्रमाणपत्र स्व0 नोला तुहार के पक्ष में जारी किया गया उसमे वर्णित आ0नं0 140 मीन गत बन्दोबस्ती रकबा 4 बीघा को वर्तमान बन्दोबस्ती ख0नं0 992/803 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा से बनता बता प्रतिवादी द्वारा पोषित राजस्व अभिलेखो मे दर्शाया हुआ है। नये पुराने बन्दोबस्त की तुलना में गत बन्दोबस्ती खं0नं0 140 मीन के कुलिया 4 बीघा रकबे जो वर्तमान बन्दोबस्ती खं0नं0 992/803 रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा किस्म चरनोट में समाहित कर दिया गया। प्रतिवादी को राजस्व अभिलेखो में हुई चुक को दुरुस्त करते हुये जरिये नामान्तरकरण सं0 69 के दिनांक 11.08.1977 को स्व0 नोला पिता गोपी लुहार के नाम पर 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि दर्ज की गई वर्तमान में भी यह नामान्तरकरण प्रभावी है। किसी सक्षम अधिकारी द्वारा इस खोले गये नामान्तरकरण को खारिज नही किया गया है। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारीयो ने चौसाला जमाबंदी संवत् 2033 से 2037 मौजा खडीपुर में इंतकाल सं0 69 दिनांक 11.08.1997 के आधार पर आ0नं0 992/803 के कुलिया रकबा 11 बीघा 10 बिस्वा मे से 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि नोला पिता गोपी लुहार के नाम दर्ज कर दी इस प्रकार स्व0 नोला लुहार को वादग्रस्त जायदाद की खोतेदारी प्राप्त हो गई। स्व0 नोला की मृत्यू के पश्चात यह वादग्रस्त जायदाद कृषि भूमि जरिये काश्त के वादी के उपयोग उपभोग में आज दिन तक चली आ रही है। जिसके प्रमाण में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत है। प्रतिवादी के अधिनस्थ कर्मचारी नायब तहसीलदार बिजौलियां ने बिना किसी अधिकार के विधि विरुद्ध आदेश पारित कर दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

[illegible] मौजा खडीपुर की जमाबंदी में वादग्रस्त जायदाद के 5 बीघा 4 बिस्वा रकबे का अभिलिखित खातेदार के नाम लिखा जाना बंद कर दिया जाये प्रतिवादीगण का अनुचित एवं विधी विरुद्व कृत्य है। राजस्व अभिलखों में अभिलिखित खातेदार की जमाबंदी बिना किसी वैध आदेश के न तो निरस्त की जा सकती है न ही जमाबंदी का इंद्राज किया जाना वैध है। प्रतिवादी द्वारा नोलाजी का नाम जमाबंदी से हटाने से पूर्व न तो किसी प्रकार की कोई सूचना दी गई न ही वादी अथवा उसके स्वर्गीय पिता नोला को दिनांक 29.09.1981 को जमाबंदी में की गई टिप्पणी बाबत अवगत करवाया गया। प्रतिवादी ने नैसर्गिक न्याय सिद्धांतो की अवहेलना कर नोला एवं उसके पश्चात वादी का नाम जमाबंदी में अभिलिखित किये जाने से रोका है इसलिए वादी पुनः अपना नाम जमाबंदी में अभिलिखित की जाने की घोषनात्मक डिक्री प्रतिवादी के विरुद्ध पाने का अधिकारी है। वादी ने अनुतोष चाहा है कि मौजा खडीपुर तहसील बिजौलियां स्थित खसरा न. 992/803 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा को वादी की खातेदारी मानते हुए वादी के पिता स्व0 नोला पुत्र गोपी लुहार के स्थान पर अभिलिखित किये जाने की डिक्री बहक वादी प्रतिवादी के सादिर फरमायी जावे। प्रतिवादी को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त जायदाद से वादी को बेदखल नहीं करें न उसे किसी अन्य को आवंटित करें व वादी के खिलाफ किसी अधिनियम में कोई कार्यवाही नहीं करें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई।

प्रतिवादी की ओर से पेरोकार सरकार नायब तहसीलदार बिजौलियां ने उपस्थित होकर जबावदावा प्रस्तुत किया।

जवाबदावे में प्रतिवादी ने अंकित किया कि प्रार्थी के पिता को भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा आवंटन होना जाहिर किया है। प्रार्थी द्वारा भूदान यज्ञ बोर्ड को पक्षकार नहीं बनाया गया भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा केवल गैर खातेदारी हक पर भूमि दी जाती है। प्रार्थी को सीधे दावा करने का अधिकार नही है। विवादीत भूमि ख0नं0 992/803 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा चारागाह भूमि है जो विकास पंचायत के नाम दर्ज रिकार्ड है। ग्राम विकास पंचायत को पक्षकार नही बनाया गया है। ना0क0सं0 69 दिनांक 11.08.1977 ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा स्वीकृत किया गया है जो अवैधानिक है। भू राजस्व अधिनियम की धारा 135 (1) में बिलानाम/चारागाह भूमि का ना0क0 निर्णित करने का अधिकार नही है। ना0क0 अवैध होने से प्रभाव शुन्य है। ऐसे ना0क0 का अमल रोका जाना उचित है। वादी अतिक्रमी है विवादीत भूमि चारागा है। आवंटन योग्य नही है। वादी को किसी प्रकार के अनुतोष का अधिकार नही है। अतः वादपत्र वादी खारिज फरमाया जावे।

वादपत्र व प्रतिवाद पत्र के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई।

1. आया कि वादीगण मौजा खडीपुर स्थित गत बन्दोबस्ती ख0नं0 173/5 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा ख0नं0 178/6 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, ख0नं0 140 रकबा 4 बीघा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा के खातेदार थी जिसमे से अकारण ही बन्दोबस्त विभाग द्वारा कटौती कर केवल 992/803 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा का खातेदारी दर्ज करदी गयी जो अनुचित है। ....वादीगण
2. आया कि वादीगण की खातेदारी को पुराने से नये रकबे मे दर्ज होने वाला 5 बीघा 4 बिस्वा रकबा छोड दिया गया इसलिये वादीगण आ0नं0 992/803 रकबा शेष रकबे की खातेदारी पाने के अधिकारी है। ....वादीगण
3. आया कि वादीगण का आ0नं0 992/803 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा पर बहेसियत खातेदार का कब्जा है इस कारण उसके विरुद्व प्रतिवादी द्वारा धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जाना अनुचित है। ....वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

वादी ने दस्तावेज सूची मय दस्तावेज प्रतिलिपि, शपथ पत्र वादी पंजीकृत सूचना पत्र की प्रति, पंजीकृत सूचना पत्र की पोस्टल रसीद दो व एडी प्राप्ति दो की प्रति, नकल प्रमाणित प्रतिलिपि खसरा परिवर्तन की प्राप्ति सात प्रति, नकल जमाबंदी सम्वत् 2033 ग्राम खडीपुर, नकल खसरा परिवर्तन की प्रति सम्वत्2003 से 2004, 2004 से 2005, व 2005 से 2006 की 3 प्रति, नकल नामान्तरकरण सं0 69 ग्राम खडीपुर आदि प्रस्तुत किये है।

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू I गोपाल पिता तुलसीराम लुहार निवासी खडीपुर के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि नोला मेरे दादा थे नोला की मृत्यू हुई तब मेरा जन्म नही हुआ था। तुलसीराम को शान्त हुये 5 साल हो गये। तुलसीराम के हम दो संताने हैमे व संतरा देवी मेरी बहन है। मेरी माता नंदू जिवित है मेरे दादाजी के ग्राम खडीपुर में जमीन थी। जमीन 5 बीघा 3 बिस्वा जमीन मेरे दादा के नाम पर आई, बाकी जमीन को चारागाह मे दर्ज कर दिया। जिसका कब्जा मेरे पिता का रहा जिसके बाबत मेने खसरा परिवर्तनशील की नकल पेश की है। पट्टे द्वारा हमारे दादा जी को कितनी बार जमीन मिली मुझे जानकारी नही है। जमीन पर हमने कुआ खुदा रखा है सिचित होती है तहसील वाले 7 बीघा जमीन नाजायज होना बताते है। हमारे दादा को पुराने नाप की 5 बीघा 3 बिस्वा जमीन अलोट हुई। नये नाप से 7 बीघा जमीन बनती है जो हमारे खाते दर्ज नही की है। जिरह में लिखवाया कि मेरे दादा को जमीन अलोट की गई मुझे पता नही है मेरा उस समय जन्म नही हुआ था। वादग्रस्त ज़मीन को हम 5–6 साल से हमारे पिता की मृत्यू के बाद बो रहे है। असल पट्टा हमारे पास नही है। पट्टा भूदान बोर्ड ने दिया।

साक्ष्य वादी में पी0डब्ल्यू II शंकरलाल पिता ईश्वर बैरवा निवासी खडीपुर, रामपाल पिता भूवाना बैरवा खडीपुर को भी साक्ष्य में प्रस्तुत कर बयान करवाये गये। दोनो ही गवाहो ने विवादीत जमीन पर नोलाजी के परिवार का उनके समय से ही कब्जा देखते आना अंकित किया है। नोला की मृत्यू के पश्चात उनके पुत्र तुलसीराम तथा तुलसीराम के बाद उनके पुत्र गोपाल को काश्त करते देख रहे है विवादीत जमीन के पत्थरो के कोट लगी हुई है विवादीत जमीन 5 बीघा है।

प्रस्तुत वादपत्र में वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत वादी बंद की गई।

शहादत प्रतिवादी में चन्द्रसिंह पिता रणजीत सिंह राजपुत निवासी लाडपुरा के बयान करवाये गये। बयान में लिखवाया कि ग्राम खडीपुर के आ0नं0 992/803 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, आ0नं0 1023/803 रकबा 5 बीघा 4 बिस्वा राजस्व रिकार्ड में चारागाह दर्ज है। उक्त आराजीयात में गोपाल पिता तुलसीराम लुहार निवासी खडीपुर की कोई खातेदारी भूमि नही है। वादी को भूदान यज्ञ बोर्ड से पट्टा दिया गया जिसकी मुझे कोई जानकारी नही है।

प्रस्तुत वादपत्र में प्रतिवादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बंद की गई।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बहस विद्ववान अधिवक्ता वादी व पेरोकार सरकार की सूनी गई।

बहस सुनी जाकर प्रकरण को मेरिट पर गुणावगुणात्मक के आधार पर निर्णय शिविर में किये जाने हेतु उभयपक्षो ने सहमति व्यक्त की जिससे प्रकरण को शिविर में निर्णय पारित करने हेतु रखा गया।

बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये वादपत्र को डिक्री किये जाने की मांग की।

प्रतिवादी पेरोकार सरकार ने जवाब में अंकित तथ्यों का ही विस्तार से जिक्र किया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व पेरोकार की बहस पर मनन किया ।

राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड ने किस आधार पर नोला पिता गोपी लुहार निवासी खडीपुर को राजस्थान भूदान यज्ञ बोर्ड द्वारा पट्टा दिया गया। किस भूमि मे से पट्टा दिया क्या बोर्ड के पट्टे देने का अधिकार या इस संबंध में वादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किये इस कारण पट्टे की वैधानिकता प्रमाणित नही है। चारागाह भूमि मे से बोर्ड को पट्टे देने का अधिकार बोर्ड को है यह प्रमाणित नही है। वादी ने दस्तावेजात मे मिलान खसरा संलग्न नही किया। भूदान यज्ञ बोर्ड व विकास पंचायत आवश्यक पक्षकार होते हुये भी उनको वाद में पक्षकार नही बनाया। मा0 सुप्रिम कोर्ट के निर्णय के अनुसार चारागाह भूमि पर खातेदारी नही ली जा सकती है। वादी के अनुसार भूदान यज्ञ बोर्ड में ख0नं0 140 मीन रकबा 4 बीघा का आवंटन किया वादी के अनुसार ख0नं0 140 के नये ख0नं0 992/803 बने। नामान्तरकरण सं0 69 दिनांक 17.08.1977 द्वारा वादी को ख0नं0 992/803 में से 5 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी दे दी। जब तथाकथित आवंटन ख0नं0 140 मीन मे से 4 बीघा का है तो 5 बीघा 4 बिस्वा की खातेदारी कैसे सम्भव है। भूदान बोर्ड का पट्टा चारागाह भूमि पर जारी कर दिया गया। दस्तावेजात से प्रमाणित नही है। प्रस्तुत वादपत्र वादी खारीज किये जाने योग्य है।

अतः वादपत्र वादी अन्तर्गत धारा 88–188 रा0टि0एक्ट खारीज किया जाता है। डिक्री मुर्तिब हो।

आदेश आज दिनांक 08.06.2018 को मुकाम सुखपुरा पर लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो।

08/06/18

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया
(केम्प सुखपुरा)